राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	322/2021 श्यामीदेवी | फूलचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/10/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी तक के लिये पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 15/01/2021 के विरुद्द प्रस्तुतं की गयी है | जिसमे अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना उज्र प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है किन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश को सीधे ही इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी है जो न्यायसंगत प्रतीत नही होता है एवं चूँकी अब इस न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित आ गये है अत: आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सुनकर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 (क) की पालना करते हुये 30 दिवस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे | इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है | उभयपक्षों को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/10/2021 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | आज खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	